जनजाति कार्य मंत्रालय

मांग संख्या 97

जनजाति कार्य मंत्रालय

क. वसूलियॉ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013			बजट 2013-2014			संशोधित 2013-2014			बजट 2014-2015		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	राजस्व	2988.59	15.94	3004.53	4209.00	16.94	4225.94	3809.00	17.05	3826.05	4309.00	18.96	4327.96
	पूंजी	***68.10***	...	*68.10*	*70.00*	...	*70.00*	*70.00*	...	*70.00*	*70.00*	...	*70.00*
	जोड़	**3056.69**	**15.94**	**3072.63**	**4279.00**	**16.94**	**4295.94**	**3879.00**	**17.05**	**3896.05**	**4379.00**	**18.96**	**4397.96**
1. सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	2251	1.35	11.10	12.45	2.80	11.67	14.47	2.20	12.11	14.31	2.80	13.27	16.07
मंत्रिपरिषद													
2. विवेकाधीन अनुदान	2013	...	...	...	...	...	...	...	0.05	0.05	...	0.05	0.05
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण													
अनुसूचित जातियों का कल्याण													
3. जनजातिय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल	3601	61.00	...	61.00	75.00	...	75.00	72.17	...	72.17	...	...	...
4. पीएमएस, पुस्तक बैंक और अ.ज.जा. के छात्रों की योग्यता उन्नयन की स्कीम	2225	0.07	...	0.07	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	...	...	...
	3601	730.99	...	730.99	624.90	...	624.90	624.90	...	624.90	...	...	...
	जोड़	*731.06*	...	*731.06*	*625.00*	...	*625.00*	*625.00*	...	*625.00*	...	...	...
5. अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	2225	...	...	...	1.00	...	1.00	0.33	...	0.33	...	...	...
	3601	111.40	...	111.40	201.19	...	201.19	201.19	...	201.19	...	...	...
	जोड़	*111.40*	...	*111.40*	*202.19*	...	*202.19*	*201.52*	...	*201.52*	...	...	...
6. अनु.जनजाति की लड़कियों और लड़कों के लिए छात्रावास की स्कीम	2225	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
	3601	73.00	...	73.00	100.80	...	100.80	100.80	...	100.80	...	...	...
	जोड़	*78.00*	...	*78.00*	*105.80*	...	*105.80*	*105.80*	...	*105.80*	...	...	...
7. उत्कृष्ठता / उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थान योजना	2225	10.10	...	10.10	13.00	...	13.00	9.50	...	9.50	...	...	...
8. राष्ट्रीय विदेश छात्रवृत्ति योजना	2225	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	0.98	...	0.98	1.00	...	1.00
9. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के अन्य कार्यक्रम	2225	125.43	4.84	130.27	227.81	5.13	232.94	131.37	4.89	136.26	183.60	5.50	189.10
	3601	196.71	...	196.71	263.20	0.14	263.34	216.79	...	216.79	219.60	0.14	219.74
	जोड़	*322.14*	*4.84*	*326.98*	*491.01*	*5.27*	*496.28*	*348.16*	*4.89*	*353.05*	*403.20*	*5.64*	*408.84*
10. न्यूनतम समर्थन मूल्य और एमएफपी हेतु मूल्य	2225	...	...	...	...	...	...	5.65	...	5.65	40.00	...	40.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2012-2013 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	संशोधित 2013-2014 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	बजट 2014-2015 आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
श्रृंखला के माध्यम से लघु वन उत्पाद का विपणन तंत्र													
	3601	...	...	...	...	...	...	116.35	...	116.35	277.00	...	277.00
	जोड़	...	...	...	...	...	...	*122.00*	...	*122.00*	*317.00*	...	*317.00*
11. जनजातियों के बच्चों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला स्कीम	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	18.84	...	18.84
	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	824.89	...	824.89
11.01 पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लिए प्रावधान	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	193.11	...	193.11
11.02 प्रशासनिक व्यय के लिए प्रावधान	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	21.16	...	21.16
जोड़- जनजातियों के बच्चों की शिक्षा हेतु अम्ब्रेला स्कीम		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1058.00*	...	*1058.00*
जोड़-अनुसूचित जातियों का कल्याण		**1314.70**	**4.84**	**1319.54**	**1513.00**	**5.27**	**1518.27**	**1485.13**	**4.89**	**1490.02**	**1779.20**	**5.64**	**1784.84**
राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता													
12. जनजाति उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	12.00	...	12.00
	3601	852.54	...	852.54	1200.00	...	1200.00	1050.00	...	1050.00	1188.00	...	1188.00
	जोड़	*852.54*	...	*852.54*	*1200.00*	...	*1200.00*	*1050.00*	...	*1050.00*	*1200.00*	...	*1200.00*
13. संविधान के अनुच्छेद 275(1) के परंतुक (I) के अधीन स्कीमों के लिए सहायता	2225	...	...	...	...	...	...	...	...	...	13.00	...	13.00
	3601	820.00	...	820.00	1317.00	...	1317.00	1097.14	...	1097.14	1304.00	...	1304.00
	जोड़	*820.00*	...	*820.00*	*1317.00*	...	*1317.00*	*1097.14*	...	*1097.14*	*1317.00*	...	*1317.00*
जोड़-राज्य आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता		**1672.54**	**...**	**1672.54**	**2517.00**	**...**	**2517.00**	**2147.14**	**...**	**2147.14**	**2517.00**	**...**	**2517.00**
जोड़-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		**2987.24**	**4.84**	**2992.08**	**4030.00**	**5.27**	**4035.27**	**3632.27**	**4.89**	**3637.16**	**4296.20**	**5.64**	**4301.84**
सरकारी उद्यमों में निवेश													
14. राष्ट्रीय / राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	4225	68.10	...	68.10	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00
15. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभार्थ – परियोजनाओं / योजनाओं के लिए एकमुश्त प्रावधान	2552	...	...	...	176.20	...	176.20	174.53	...	174.53	10.00	...	10.00
16. वास्तविक वसूलियां	3601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़		***3056.69***	***15.94***	***3072.63***	***4279.00***	***16.94***	***4295.94***	***3879.00***	***17.05***	***3896.05***	***4379.00***	***18.96***	***4397.96***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ख. सार्वजनिक उद्यम में निवेश													

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
14. राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम	22225	68.10	...	68.10	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00
जोड़		**68.10**	**...**	**68.10**	**70.00**	**...**	**70.00**	**70.00**	**...**	**70.00**	**70.00**	**...**	**70.00**
ग. योजना परिव्यय													
केन्द्रीय योजना:													
1. सचिवालय - सामाजिक सेवाएं	22251	1.35	...	1.35	2.80	...	2.80	2.20	...	2.20	2.80	...	2.80
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यकों का कल्याण	22225	1382.80	...	1382.80	1583.00	...	1583.00	1555.13	...	1555.13	812.36	...	812.36
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	176.20	...	176.20	174.53	...	174.53	10.00	...	10.00
जोड़ - केन्द्रीय योजना		**1384.15**	**...**	**1384.15**	**1762.00**	**...**	**1762.00**	**1731.86**	**...**	**1731.86**	**825.16**	**...**	**825.16**
राज्य योजना:													
1. सामान्य केन्द्रीय सहायता	43601	820.00	...	820.00	1317.00	...	1317.00	1097.14	...	1097.14	2128.89	...	2128.89
2. अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	43601	...	...	...	...	...	...	...	...	...	31.84	...	31.84
3. जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	43601	852.54	...	852.54	1200.00	...	1200.00	1050.00	...	1050.00	1393.11	...	1393.11
जोड़ - राज्य योजना		**1672.54**	**...**	**1672.54**	**2517.00**	**...**	**2517.00**	**2147.14**	**...**	**2147.14**	**3553.84**	**...**	**3553.84**
जोड़		**3056.69**	**...**	**3056.69**	**4279.00**	**...**	**4279.00**	**3879.00**	**...**	**3879.00**	**4379.00**	**...**	**4379.00**

1. यह व्यवस्था जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिवालय व्यय के लिए है।

2. जनजातीय मामलों के मंत्री द्वारा जनजातीय कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत पात्र संगठनों और संस्थानों तथा जरूरतमन्द व्यक्तियों को भी अनुदान स्वीकृत किए जाते हैं।

8. राष्ट्रीय विदेशी स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को सिर्फ इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी और विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में विदेश में उच्च अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है।

9. यह प्रावधान अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, अनुसूचित जनजातियों के लिए अखिल भारतीय या अंतरराज्य स्वरूप की परियोजनाओं की सहायता, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, ट्राइफेड को जनजातीय उत्पादों के संबंध में खुदरा विपणन विकास, एवं प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, अनुसूचित जनजाति के दस्तकारों और लघु वन-उत्पाद संग्राहकों का क्षमता निर्माण तथा सग्रह निधि के सृजन के लिए समर्थन, लघु वन उत्पादों के लिए राज्य जनजातीय विकास सहकारिता निगमों को सहायता अनुदान, जनजातीय क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की साक्षरता के विकास के लिए कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षणिक काम्प्लेक्स, जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के दूसरे परंतुक के खण्ड(क) के अंतर्गत असम सरकार को अनुदान, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, आदिवासी जनजाति समूहों के विकास, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन तथा अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप योजना के अंतर्गत एम-फिल और पी.एच.डी. जैसी उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को फैलोशिप देने की व्यवस्था है; विश्व बैंक परियोजना - जनजातीय क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में सुधार।

10. लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के संग्रहकर्त्ता, जो प्राथमिक रुप से अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, की सामाजिक सुरक्षा के उपाय के रुप में इस मंत्रालय ने हाल ही में लघु वन उत्पाद (एमएफपी) के लिए "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तथा मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वन उत्पाद (एमएसपी) के विपणन हेतु तंत्र" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरु की है।

योजना का उद्देश्य लघु वन उत्पाद (एमएफपी) संग्रहकर्त्ताओं के लिए संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण, भंडारण, पैकेजिंग, परिवहन आदि के प्रयासों के लिए उचित मौद्रिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली बनाना है। इसका उद्देश्य लागत घटाने के साथ बिक्री की आय से उनका राजस्व का हिस्सा भी दिलाना है। इसका उद्देश्य प्रक्रिया की निरंतरता के लिए अन्य मुद्दों को भी हल करना है।

11. अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा में महत्वपूर्ण अन्तर को भरने के लिए अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा हेतु अंब्रैला योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह निम्नलिखित घटकों पर राज्यों द्वारा चुने जाने वाले विकल्पों की सूची प्रदान करती है

1. आश्रम विद्यालयों एवं छात्रावासों का सुदृढ़ीकरण और स्थापना

2. आश्रम विद्यालयों के अन्दर व्यावसायिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना

3. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति

4. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

5. उच्च श्रेणी शिक्षा

12. मंत्रालय राज्य की जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता देते हुए राज्य सरकार के प्रयासों को समर्थन देता है| टीएसपी को विशेष केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य और कार्यक्षेत्र रोजगार-सह-आय सृजन गतिविधियां और परिवार आधारित अवसंरचना आनुषांगिक हैं तथा गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) समुदाय आधारित के लिए भी इसे शामिल किया गया है| टीएसपी को एससीए प्रदान करने का मूल उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में मांग-आधारित आय-सृजन कार्यक्रमों को बढ़ावा देना और इस प्रकार जनजातियों के आर्थिक व सामाजिक स्तर को उठाना है। इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय 22 टीएसपी राज्यों को अनुदान देने की व्यवस्था करता है। "वन ग्रामों का विकास" कार्यक्रम भी इस शीर्ष के तहत वित्तपोषित किया जाता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, मूल सेवाओं और सुविधाओं से संबंधित अवसंरचनात्मक कार्य का कार्यान्वयन शुरु किया गया है।

13. इस प्रावधान के अन्तर्गत 22 टी.एस.पी. राज्यों और 4 जनजातीय बहुल राज्यों को अनुदान दिए जाते हैं ताकि अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का सृजन किया जा सके और राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को राज्य के शेष हिस्सों में विद्यमान प्रशासन के स्तर तक लाया जा सके ताकि उन्हें शेष विकसित क्षेत्रों के बराबर लाया जा सके। अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सहायता परियोजना लक्षित है और अनुसूचित जनजातियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एकलव्य माडल आवासीय विद्यालय की स्थापना करने/चलाने हेतु निधिपोषण भी किया गया है।

14. यह प्रावधान विभिन्न राज्यों में जनजाति विकास निगमों के शेयर पूंजीगत निवेश में भागीदारी के लिए है जो अनुसूचित जनजातियों को आर्थिक रूप से सक्षम परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान करने के लिए वित्त जुटाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा समर्थन चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए वित्तपोषण योजनाओं/परियोजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) को दिया जाता है।

15. यह प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्रों और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु है।